अध्याय–III

संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय–III

3. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

राज्य की सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

सीएनसीई विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन को स्वीकार करके कम्पनी ने उपभोक्ता को ₹ 24.96 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया

राज्य में कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारी) को विद्युत विक्रय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा निर्गत कैप्टिव एवं गैर–परम्परागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र विनियम[1] (सीएनसीई विनियम) के द्वारा नियंत्रित होता है। कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का अर्थ किसी व्यक्ति या सहकारी संस्था या व्यक्तियों के समूह द्वारा मूलतः अपने उपयोग हेतु ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थापित ऊर्जा संयंत्र है। ऊर्जा की बैंकिंग वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत एक उत्पादन संयंत्र, ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष या अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के अभिप्राय से नहीं बल्कि ग्रिड से इस ऊर्जा की पुनः वापसी की अर्हता के प्रयोग के अभिप्राय से करता है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की ओर से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा उपभोक्ता के साथ एक ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पीपीए) किया (जुलाई 2009) जो मार्च 2014 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिये उपभोक्ता को वैद्युत ऊर्जा की आपूर्ति[2] के साथ–साथ कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र (कम्पनी के साथ 75 प्रतिशत बैंकिंग एवं कम्पनी को 25 प्रतिशत विक्रय आधार पर) से उपभोक्ता द्वारा वैद्युत ऊर्जा की आपूर्ति[3] के लिये था। पीपीए को शुरूआत में 2 माह के लिये बढ़ाया गया (मार्च 2014) जिसे आगे नये विनियम के अधिसूचना तक बढ़ाया गया[4] (मई 2014)।

उपभोक्ता द्वारा बैंक की गयी यूनिटों की पुनः वापसी, कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा से इसके समायोजन एवं बैंक की गयी यूनिटों के समायोजन के पश्चात बीजकों के निर्गमन से संबंधित पीपीए के नियम एवं शर्तें इस प्रकार थीं:

- पीपीए की दरें, नियम एवं शर्तें नयी नीति (यूपीईआरसी द्वारा निर्गत सीएनसीई विनियम) द्वारा नियंत्रित होंगी;
- पीपीए के क्लाज 13(ए) में प्रावधान था कि कम्पनी बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन के पश्चात कम्पनी द्वारा आपूर्तित निवल ऊर्जा के लिये उपभोक्ता को प्रतिमाह बीजक निर्गत करेगा; और
- पीपीए के क्लाज 22(ए) में प्रावधान था कि उपभोक्ता चालू वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत तक एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत तक बैंक की गयी ऊर्जा का उपभोग कर सकता था।

---

[1] विनियम जुलाई 2005 में प्रभावी हुआ और बाद में 2009 एवं 2014 में पुनरीक्षित किया गया।

[2] मुख्य आपूर्ति के रूप में 2,222.20 केवीए एवं अतिरिक्त एवं आपात सहायता आपूर्ति के रूप में 42,222.20 केवीए।

[3] 60,000 केडबल्यू।

[4] अप्रैल 2014 से मार्च 2019 की अवधि हेतु पीपीए अब तक (अक्टूबर 2016) हस्ताक्षरित नहीं हुआ।

अग्रेतर, यूपीईआरसी द्वारा अधिसूचित (मार्च 2006) सीएनसीई विनियम, 2005 जो जुलाई 2005 से प्रभावी था, निम्नलिखित प्रावधान करता था:

- विनियम 39(ब)(vi) के अनुसार, उपभोक्ता को या तो उसी वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में अर्थात अधिकतम दो वर्ष की अवधि में बैंक की गयी ऊर्जा को वापस करने की अनुमति दी गयी थी; और

- विनियम 39(ब)(vii) के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बची हुयी अप्रयुक्त बैंक की गयी ऊर्जा को, जिस वर्ष ऊर्जा बैंक की गयी उसी वर्ष हेतु यूपीईआरसी द्वारा तय दर पर कम्पनी को बिक्री मानी जायेगी।

इस प्रकार, विनियम 2005 में अधिकतम दो वित्तीय वर्षों के भीतर ही कम्पनी द्वारा यूनिटों को उपभोक्ता को बेचे जाने पर बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन का प्रावधान था; जबकि पीपीए (क्लॉज 22ए) में दो वर्षों के पश्चात भी बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (फरवरी 2016) कि यूपीपीसीएल के साथ किया गया पीपीए सीएनसीई विनियम (2005 के विनियम 39(ब)(vi) एवं (vii)) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था जो कि दो वर्ष के भीतर ही बैंक की गयी ऊर्जा के समायोजन को प्रतिबन्धित करता था। अग्रेतर, कम्पनी के विद्युत वितरण खण्ड पिपरी, सोनभद्र द्वारा पीपीए के उपबन्धों, जिनमें प्रावधान था कि, पीपीए की दरें, नियम एवं शर्तें नयी नीति (सीएनई विनियम) द्वारा शासित होंगी, की अनदेखी करते हुए 2014–15 में बेची गयी यूनिटों के सापेक्ष 2010–11 से 2011–12 की अवधि में बैंक की गयी ऊर्जा 14.05 मिलियन यूनिट (एमयू) के समायोजन को लागू विनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुमति प्रदान किया। यह उपभोक्ता को ₹ 5.78 करोड[5] ***(परिशिष्ट–3.1)*** के अनुचित लाभ में परिणत हुआ।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा 2014–15 के दौरान उपभोक्ता को 31.94 एमयू विद्युत बिक्री के लिये ₹ 19.18 करोड़[6] ***(परिशिष्ट–3.1)*** का बीजक निर्गत नहीं किया और बैंक की गयी ऊर्जा के नाम पर समायोजन को अधिकृत किया जबकि कोई बैंक की गयी ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, विनियम 2005 के प्रावधानों, जिसका पीपीए में उल्लेख था, को लागू न करके कम्पनी ने उपभोक्ता को कुल ₹ 24.96 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और बताया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिये सीएनसीई विनियम पर आधारित विद्युत बीजक निर्गत किया गया था (अक्टूबर 2016)। तथ्य अभी भी यथावत था कि उपभोक्ता से ₹ 24.96 करोड़ की वसूली नहीं की गयी (अक्टूबर 2016)।

प्रकरण जून 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.2 उपभोक्ताओं की श्रेणी के परिवर्तन में विलम्ब

उपभोक्ता को एचवी–2 श्रेणी में प्रवसन में अत्यधिक विलम्ब के कारण कम्पनी ने ₹ 1.38 करोड़ के राजस्व की हानि वहन की

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 (प्रदाय संहिता) के उपवाक्य 4.40 (श्रेणी का परिवर्तन) में प्रावधान है कि जब एक उपभोक्ता एक टैरिफ दर अनुसूची से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन के लिये आवेदन करता है, अनुज्ञप्तिधारी स्थल के सत्यापन हेतु दौरा करेगा

[5] ₹ 8.44 करोड़ घटाव ₹ 2.66 करोड़।

[6] ₹ 27.62 करोड़ घटाव ₹ 2.66 करोड़ घटाव ₹ 5.78 करोड़।

और आवेदन स्वीकार करने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर श्रेणी का परिवर्तन करेगा। इसमें आगे प्रावधान था कि श्रेणी का परिवर्तन अगले बिलिंग चक्र से प्रभावी होगा। यद्यपि ऐसे मामले में जहाँ किसी लागू कानून के तहत नये संयोजन की स्वीकृति अनुमन्य नहीं हो, अनुज्ञप्तिधारी आवेदन के स्वीकार करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये अनुमोदित टैरिफ आदेश के सामान्य प्रावधानों में उच्च वोल्टेज (एचवी)–2 श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प था; अर्थात एलएमवी–1, एलएमवी–2, एलएमवी–4 और एमएमवी–6 के उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित लोड 50 केडब्ल्यू से अधिक हो और वे 11 केवी और अधिक वोल्टेज की आपूर्ति प्राप्त करते हों, को एचवी–2 श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प बना रहेगा। टैरिफ में आगे प्रावधान था कि उपभोक्ता को मूल श्रेणी में वापस आने का विकल्प होगा, यदि वह ऐसा चाहे।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (जुलाई 2015) कि उपभोक्ता[7] ने यू0पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएससीसीएल) के प्लान्ट के परिसमापन के फलस्वरूप उसकी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया (अक्टूबर 2006)। तत्समय 850 केडब्ल्यू लोड एवं 33 केवी वोल्टेज पर आपूर्ति का एलएमवी–1 श्रेणी का प्रोडक्शन मैनेजर, यूपीएससीसीएल, चुर्क के नाम का एक संयोजन निगम के भवनों में निवास करने वाले निवासियों को विद्युत आपूर्ति के लिए अस्तित्व में था। आगे संज्ञान में आया कि उपभोक्ता ने एलएमवी–1 से एचवी–2 श्रेणी में परिवर्तन की स्वीकृति के लिये कम्पनी से यह कहते हुए अनुरोध किया (अक्टूबर 2009) कि विद्युत का उपयोग प्लान्ट में औद्योगिक एवं घरेलू उद्देश्यों एवं कालोनी में प्रकाश के लिये किया जायेगा। कम्पनी ने, तथापि, प्रदाय संहिता के उपवाक्य 4.40 के प्रावधान के अनुरूप 10 दिनों में उपभोक्ता को उच्च टैरिफ में परिवर्तन के लिये कोई कदम नहीं उठाया।

उपभोक्ता को एचवी–2 श्रेणी के उच्च टैरिफ में परिवर्तन को देर से फरवरी 2013 में स्वीकार किया।

इस प्रकार, उपभोक्ता को एचवी–2 श्रेणी में प्रवसन करने में तीन वर्ष एवं तीन माह के अत्यधिक विलम्ब के कारण कम्पनी ने नवम्बर 2009 से जनवरी 2013 के दौरान ₹ 1.38 करोड़ राजस्व की हानि वहन की।

उत्तर में लेखापरीक्षा को सूचित किया गया (सितम्बर 2016) कि उपभोक्ता के श्रेणी में परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अभियन्ता के आदेश (फरवरी 2010) से उपभोक्ता को अवगत कराया गया था। यद्यपि, इस प्रकार के किसी सम्प्रेषण से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, सम्प्रेषण की सत्यता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी।

प्रकरण जून 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.3 संयोजन मुक्त करने में विलम्ब के कारण फिक्स्ड चार्जेज नहीं वसूला गया

कम्पनी प्रदाय संहिता के प्रावधानों को लागू करके कार्य समाप्ति से सात दिनों में संयोजन मुक्त करने में विफल रही और उपभोक्ता से ₹ 1.05 करोड़ के फिक्स्ड चार्जेज की वसूली से वंचित रही

प्रदाय संहिता का उपवाक्य 4.1 प्रावधान करता है कि अनुज्ञप्तिधारी पूर्ण आवेदन एवं भुगतान की प्राप्ति के पश्चात एक माह के अन्दर ऐसे परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा, परन्तु जहाँ ऐसी आपूर्ति वितरण स्रोत परिपथ के विस्तार या नये उपकेन्द्रों को

[7] जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड।

स्थापित करना अपेक्षित हो, वहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्तार के पश्चात तत्काल या ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि प्रदाय संहिता के उपवाक्य 4.8 में विनिर्दिष्ट है, ऐसे परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा। प्रदाय संहिता का उपवाक्य 4.8 प्रावधान करता है कि अनुज्ञप्तिधारी तत्परता से प्राक्कलित प्रभार के निक्षेप की तारीख से 300 दिनों के अन्दर, 132 केवी पर संयोजित किये जाने वाले भार के लिए कार्य को तत्परता से निष्पादित करेगा। अग्रेतर, प्रदाय संहिता का उपवाक्य 4.8(एच) में प्रावधान था कि अनुज्ञप्तिधारी वह तिथि (कार्य पूर्ण होने के सात दिनों के पश्चात्) सूचित करेगा जब संयोजन ऊर्जित की जाएगी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2015) कि मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेलवे विद्युतीकरण, लखनऊ (उपभोक्ता) ने रेलवे ट्रैक्शन के लिए 132 केवी उपकेन्द्र मोहद्दीपुर, गोरखपुर से जून 2008 से प्रस्तावित उत्तर पूर्वी रेलवे ग्रिड उपकेन्द्र कर्षण के पोषण हेतु एचवी–3 श्रेणी के अन्तर्गत 5 एमवीए भार को मुक्त करने के लिये कम्पनी के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (ईयूडीडी)–I, गोरखपुर में आवेदन किया (नवम्बर 2007/जनवरी 2008)। कम्पनी ने उपभोक्ता के भार को स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008)। चूँकि, भार की मुक्ति के लिये 132 केवी पारेषण लाइन और 132 केवी बे का निर्माण किया जाना था, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने ₹ 1.39 करोड़ के कार्य का संभावित प्राक्कलन तैयार किया (दिसम्बर 2007) जिसे पुनरीक्षित करके ₹ 2.46 करोड़ किया गया (दिसम्बर 2011), जिसके सापेक्ष उपभोक्ता ने ₹ 1.39 करोड़ (जून 2008) एवं ₹ 1.07 करोड़ (दिसम्बर 2012) जमा किया। उपभोक्ता ने अति शीघ्र कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया। यूपीपीटीसीएल ने 6 अगस्त 2014 को कार्य पूर्ण किया परन्तु इसने कम्पनी को सूचित नहीं किया जिससे कि उपभोक्ता को तुरन्त संयोजन मुक्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने संयोजन को शीघ्र मुक्त करना सुनिश्चित करने हेतु निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसरण के लिये यूपीपीटीसीएल से समन्वय नहीं किया। कम्पनी ने कार्य की प्रगति के विषय में यूपीपीटीसीएल से पूछताछ किया (जुलाई 2015) जिसने बताया (21 जुलाई 2015) कि कार्य पहले ही 06 अगस्त 2014 को पूर्ण हो गया था। कम्पनी ने 24 जुलाई 2015 को तत्काल उपभोक्ता को संयोजन मुक्त कर दिया। इस प्रकार, यूपीपीटीसीएल एवं कम्पनी के मध्य समन्वय की कमी के कारण यह प्रदाय संहिता की अपेक्षा के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के सात दिन के अन्दर संयोजन मुक्त करने में विफल रहा। संयोजन दस महीने के विलम्ब के साथ मुक्त किया गया जिसके कारण सितम्बर 2014 से जून 2015 की अवधि के लिये ₹ 1.05 करोड़[8] के फिक्स्ड चार्जेज की वसूली का अवसर खो दिया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2016) कि लाइन का निर्माण का कार्य 14 जुलाई 2015 तक पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि टावर संख्या चार का स्थानान्तरण प्रगति पर था। यूपीपीटीसीएल द्वारा कार्य समाप्ति के बाद एवं रेलवे प्राधिकारियों से अनुमति मिलने पर 27 जुलाई 2015 को लाइन में ऊर्जा प्रदान की गयी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य अगस्त 2014 में पूर्ण हो गया था जैसा कि यूपीपीटीसीएल, गोरखपुर द्वारा सत्यापित किया गया; अतः संयोजन तत्काल मुक्त किया जाना चाहिए था।

प्रकरण मई 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

---

[8] ₹ 280/केवीए/माह के डिमान्ड चार्जेज x भार; 3750केवीए (5000 केवीए का 75 प्रतिशत) x 10 माह = ₹ 1.05 करोड़।

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

3.4 ठेकेदारों को अनुचित पक्षपात

कम्पनियों ने कल्याण सेस अधिनियम/नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 5.12 करोड़ कटौती और जमा नहीं किया किया एवं उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाया

भारत सरकार (जीओआई) ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस अधिनियम, 1996 (सेस अधिनियम) बनाया तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस नियम, 1998 (सेस नियम) तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उपर्युक्त सेस अधिनियम एवं नियमों को अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 2009 द्वारा राज्य में लागू किया। जीओयूपी ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (कल्याण बोर्ड) का भी गठन किया (नवम्बर 2009)।

कल्याण बोर्ड दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता; पेन्शन का भुगतान और भवन निर्माण के लिए लाभार्थी को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति; लाभार्थियों के लिये समूह बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान; लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता; एवं लाभार्थी/आश्रित को बड़ी बीमारियों में इलाज हेतु चिकित्सा व्यय आदि का वहन कर सकता है।

सेस अधिनियम की धारा–3 प्रावधान करती है कि नियोक्ता द्वारा निर्माण पर व्यय लागत का एक प्रतिशत सेस आरोपित किया जायेगा और नियोक्ता से संग्रहीत किया जायेगा तथा इसे उद्देश्य हेतु गठित कल्याण बोर्ड में जमा किया जायेगा। अग्रेतर, जीओआई द्वारा तैयार सेस नियमों का नियम 4(3) प्रावधान करता है कि जहाँ सेस का आरोपण सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित हैं, सरकार या वह पीएसयू अधिसूचित दरों अर्थात एक प्रतिशत, उस कार्य पर भुगतान किये गये बिलों से देय सेस की कटौती करेगी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2015/सितम्बर 2015) कि कम्पनियों ने 19 ठेकेदारों को ₹ 654.90 करोड़[9] का भुगतान किया जिन्होंने 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान उपकेन्द्रों एवं लाइनों का निर्माण कार्य सम्पादित किया था। कम्पनियों द्वारा उनके बिलों से ₹ 6.55 करोड़[10] की कटौती करके उसे कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना अपेक्षित था। कम्पनियों ने अभिलेखों पर कारण का उल्लेख किये बिना ठेकेदारों के बिलों से ₹ 6.30 करोड़ सेस की कटौती नहीं किया सिवाय एक कम्पनी[11] के जिसने केवल ₹ 25 लाख सेस की कटौती की।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी[11] ने फरवरी 2010 से जुलाई 2015 के दौरान ₹ 41.09 करोड़ व्यय करके 220 केवी एवं 132 केवी उपकेन्द्रों एवं लाइनों का विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य सम्पादित किया। विभागीय स्तर पर सम्पादित कार्य पर, कम्पनी[11] द्वारा ₹ 41 लाख का सेस कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु कम्पनी ने सेस की कोई धनराशि जमा नहीं की।

---

9 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) द्वारा नौ ठेकेदारों को ₹ 478.61 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा 10 ठेकेदारों को ₹ 176.29 करोड़।

10 पीयूवीवीएनएल द्वारा ₹ 4.79 करोड़ तथा यूपीपीटीसीएल द्वारा ₹ 1.76 करोड़।

11 यूपीपीटीसीएल।

इस प्रकार, कम्पनियों ने सेस अधिनियम/नियमों की अपेक्षा के अनुरूप ₹ 6.30 करोड़ के सेस की कटौती नहीं की जो ठेकेदारों का अनुचित पक्षपोषण था तथा ₹ 6.71 करोड़[♣] का सेस जमा नहीं किया गया जो उस सीमा तक कल्याण बोर्ड को हानि थी।

कम्पनियों के प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (जून 2016) कि ₹ 1.59 करोड़[12] सेस की कटौती कर ली गयी एवं कल्याण बोर्ड में जमा करा दिया गया। सेस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये थे और सेस की कटौती शुरू कर दी गयी थी। तथ्य अभी भी यथावत है कि ₹ 5.12 करोड़[13] सेस की वसूली लम्बित थी (अक्टूबर 2016)।

प्रकरण मई 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

3.5 ठेकेदार को अनुचित लाभ के कारण हानि

कम्पनी द्वारा बिना वास्तविक माप लिये तदर्थ आधार पर अग्रिम प्रदान कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया जिसके कारण ₹ 5.03 करोड़ के अग्रिम एवं ₹ 6.72 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हो पायी

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (कम्पनी) ने ₹ 65.97 करोड़ के अनुबन्ध मूल्य पर अम्बेडकर नगर में जिला जेल के निर्माण के लिये ठेकेदार[14] से अनुबन्ध किया (7 जुलाई 2010)। कम्पनी की फैजाबाद इकाई (इकाई) को कार्य सम्पादित करने हेतु नामित किया गया (सितम्बर 2010)।

अनुबन्ध के उपवाक्य 24 के अनुसार, ठेकेदार को अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, समान धनराशि की बैंक गारंटी जो कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात छः माह तक वैध होनी थी, के विरूद्ध मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जाना था। मोबलाइजेशन अग्रिम ठेकेदार के चालू बिलों से समायोजित किया जाना था। अग्रेतर, मोबलाइजेशन अग्रिम पर ठेकेदार द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2015) कि अनुबन्ध के उपवाक्य 24 के अनुसार, ठेकेदार को मात्र ₹ 6.60 करोड़ (अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत) का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जाना था। तथापि, इकाई के परियोजना प्रबन्धक ने ठेकेदार को अगस्त 2010 से फरवरी 2012 के दौरान, ₹ आठ करोड़ मात्र की बैंक गारंटी के विरूद्ध ₹ 26.83 करोड़ (मोबिलाइजेशन अग्रिमः ₹ 6.50 करोड़ और श्रम एवं सामग्री के विरूद्ध अग्रिमः ₹ 20.33 करोड़) का कुल अग्रिम प्रदान किया। सम्पादित कार्यों का वास्तविक मापन किये बिना ठेकेदार के अनुरोध पर अग्रिम प्रदान कर दिये गये। इस प्रकार, ठेकेदार को प्रदान किये गये अग्रिम न केवल अनुमन्य धनराशि से अधिक थे बल्कि बैंक गारंटी के कम धनराशि के कारण असुरक्षित (₹ 18.83 करोड़ की मात्रा तक) भी थे।

लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि कम्पनी के वित्तीय परामर्शदाता अत्यधिक अग्रिम की अवमुक्ति रोकने में असफल रहे और ठेकेदार ने जनवरी 2014 में कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया। ₹ 26.83 करोड़ के अग्रिमों के विरूद्ध, इकाई मार्च 2011 से अगस्त 2015 के दौरान लम्बित बिलों के समायोजन, बैंक गारन्टी एवं प्रतिभूति की जब्ती से

♣ ₹ 6.71 करोड़ में ₹ 6.30 करोड़ एवं विभागीय कार्यों पर यूपीपीटीसीएल द्वारा जमा किये जाने वाली राशि ₹ 41लाख शामिल थी।

12 पीयूवीवीएनएल द्वारा ₹ 68 लाख एवं यूपीपीटीसीएल द्वारा ₹ 91 लाख।

13 पीयूवीवीएनएल द्वारा ₹ 4.11 करोड़ एवं यूपीपीटीसीएल द्वारा ₹ 1.01 करोड़।

14 साई नाथ एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद।

₹ 21.80 करोड़[15] वसूल सकी। इसलिए, अभी तक (मार्च 2016) ₹ 5.03 करोड़ की अग्रिम वसूली नहीं हो पायी, इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ₹ 6.72 करोड़ का वसूली योग्य ब्याज भी नहीं वसूला जा सका।

इस प्रकार, अनुबन्ध के प्रावधानों के उल्लंघन में, इकाई द्वारा बिना वास्तविक माप लिये ठेकेदार को तदर्थ आधार पर अनुमन्य धनराशि से अधिक और वो भी कम बैंक गारन्टी के विरूद्ध अग्रिम प्रदान कर अनुचित लाभ पहुँचाया जिससे कम्पनी को ₹ 11.75 करोड़[16] की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि 18 मई 2016 की जाँच रिपोर्ट के अनुसार अधिक अग्रिम प्रदान करने एवं उस पर ब्याज न आरोपित करने के लिये तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक उत्तरदायी थे और परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही प्रगति पर थी। अग्रेतर, ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के लिये विधिक परामर्श मांगी गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक जून 2015 में सेवानिवृत्त हो गये थे और जाँच, जो अगस्त 2013 में शुरू हुई थी, उनके सेवानिवृत्ति के बाद अन्तिमीकृत (मई 2016) हुई थी। अग्रेतर, कार्य छोड़ने के दो वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी कम्पनी द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं शुरू की गयी।

प्रकरण जून 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.6 कार्य का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित किये बिना ठेकेदार को भुगतान से हानि

कम्पनी ने ठेकेदार को किये गये कार्य के वास्तविक मूल्य से ज्यादा भुगतान के कारण ₹ 6.63 करोड़ की हानि वहन की

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने कांशीराम नगर में ₹ 58.88 करोड़ की लागत से जिला जेल के निर्माण के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया (फरवरी 2010)। कम्पनी को जिला जेल के निर्माण के लिये कार्यदायी एजेन्सी नामित किया गया। कम्पनी ने इस कार्य का क्रियान्वयन कासगंज इकाई को सौंपा। जिला जेल के निर्माण का कार्य कम्पनी द्वारा मार्च 2010 में आमंत्रित निविदा के विरूद्ध ₹ 58.88 करोड़ में साईंनाथ इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (ठेकेदार) को प्रदान किया गया (जुलाई 2010)। ठेकेदार ने कार्य सितम्बर 2010 में प्रारम्भ किया।

अनुबन्ध के उपवाक्य 24 के अनुसार, ठेकेदार को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत का ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक) अर्जित करने वाला मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जाना था। अग्रेतर, अनुबन्ध के उपवाक्य 17 के अनुसार, ठेकेदार को उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए मासिक बिल (विस्तृत माप एवं मदवार बिल ऑफ क्वांटिटी) प्रस्तुत करना था। कम्पनी के फील्ड अभियंता (इकाई) द्वारा ठेकेदार को भुगतान अवमुक्त करने से पूर्व, ठेकेदार द्वारा सम्पादित कार्य का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिये कार्य का माप करना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी के वित्तीय परामर्शदाता अधिक अग्रिम की अवमुक्ति रोकने में विफल रहे एवं इकाई ने ठेकेदार द्वारा वास्तव में किये गये कार्य की माप किये बिना और पूर्व में किये गये भुगतान तथा ठेकेदार के पास असमायोजित धनराशि पर विचार किये बिना ठेकेदार को भुगतान अवमुक्त किया। फलस्वरूप, ठेकेदार के चौथे बिल (जुलाई 2011) के अनुसार ₹ 32.22 करोड़ मूल्य के कुल कार्य के विरूद्ध ठेकेदार को अगस्त 2010 से जुलाई 2011 के दौरान ₹ 41.28

---

15 मार्च 2011 से अप्रैल 2014 के दौरान ठेकेदार के लम्बित बिलों से ₹ 13.11 करोड़ को समायोजित किया, ₹ आठ करोड़ (जुलाई/अगस्त 2014) की बैंक गारन्टी एवं ₹ 0.69 करोड़ (अगस्त 2015) की प्रतिभूति की जब्ती।

16 बिना वसूली के अग्रिमः ₹ 5.03 करोड़ और ब्याजः ₹ 6.72 करोड़।

करोड़ का भुगतान अवमुक्त किया गया। इस प्रकार, अनुबन्ध के उपवाक्य 17 के उल्लंघन में अननुमन्य भुगतान अवमुक्त करके ठेकेदार को ₹ 9.06 करोड़ का अनुचित पक्षपोषण किया गया।

लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि चौथे बिल के अनुसार मापे गये ₹ 32.22 करोड़ के कार्य का मूल्य गलत था क्योंकि इकाई द्वारा बाद में सितम्बर/अक्टूबर 2012 के दौरान मापे गये कार्य का वास्तविक मूल्य ₹ 19.72 करोड़ था। यह ठेकेदार को ₹ 12.50 करोड़ का अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

इस प्रकार, अनुबन्ध के उपवाक्य 17 के प्रावधान को लागू करने में विफल रहने और किये गये कार्य की गलत माप के कारण ठेकेदार को ₹ 21.56 करोड़ (₹ 9.06 करोड़ एवं ₹ 12.50 करोड़) के कुल भुगतान से अनुचित लाभ पहुँचाया गया। ठेकेदार ने सितम्बर 2013 में कार्य को बीच में छोड़ दिया।

कम्पनी ने महाप्रबन्धक, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक, इकाई प्रभारी, उप अभियन्ता और सहायक लेखाकार पद के नौ कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच शुरू किया (मार्च 2013); तीन कर्मचारियों को आरोप–पत्र निर्गत किया और नौ कर्मचारियों में से तीन के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया (सितम्बर 2014)। जाँच अभी तक (अगस्त 2016) तक पूरी नहीं हो पायी। कम्पनी ने लेखापरीक्षा के उद्धरण पर अधिक अवमुक्त धनराशि की वसूली के लिये ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया (मई 2016)।

कम्पनी ठेकेदार को ₹ 21.56 करोड़ के अधिक भुगतान के विरूद्ध मात्र ₹ 14.93 करोड[17] वसूल कर सकी (अगस्त 2016 तक)। इस प्रकार, ठेकेदार को अमान्य/अधिक भुगतान अवमुक्त करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 6.63 करोड़ (₹ 21.56 करोड़ घटाया ₹ 14.93 करोड़) की हानि वहन की।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2016) कि अवशेष धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही प्रगति पर थी।

प्रकरण जुलाई 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.7 आयकर का परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने कार्यों पर किये गये व्यय पर 6.875 प्रतिशत के बजाय 11.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का लेखांकन किया। परिणामस्वरूप, इसने अननुमन्य सेन्टेज आय पर ₹ 5.39 करोड़ के आयकर का भुगतान किया

कम्पनी उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के विभिन्न विभागों के कार्यों को निक्षेप आधार पर अर्थात वास्तविक लागत एवं सेन्टेज पर क्रियान्वित करती है। यह निर्माण कार्यों के सम्पादन के लिये पीस रेट वर्कर्स (पीआरडब्ल्यूएस) को लगाती है।

जीओयूपी का आदेश (फरवरी 1997) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी) के दर–सूची (एसओआर) के आधार पर आकलित लागत से पाँच प्रतिशत घटाने पर प्राप्त कार्य की लागत पर 12.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज की गणना का प्रावधान करता है। तद्नुसार, सेन्टेज सहित कुल लागत यूपीपीडब्ल्यूडी के एसओआर के अनुसार आकलित लागत के 106.875[18] प्रतिशत होती है। इस प्रकार, अनुमन्य सेन्टेज यूपीपीडब्लयूडी के एसओआर के आधार पर (बिना पाँच प्रतिशत घटाये) आकलित लागत का 6.875 प्रतिशत होता है।

---

[17] सितम्बर 2015 तक ₹ 10.93 करोड़ वसूला गया + न्यायालय के आदेश पर ₹ 4 करोड़ वसूला गया।

[18] कार्य की लागत = 100 घटाव पाँच प्रतिशत = 95। 12.5 प्रतिशत की दर से 95 पर सेन्टेज = 11.875। इस प्रकार, कार्य की कुल लागत = 106.875 (95 + 11.875)।

कम्पनी को दो केन्द्र पोषित योजनाओं[19] के अन्तर्गत मेरठ में आवासीय गृहों का निर्माण कार्य सौंपा गया था। इन योजनाओं के कार्यों की कुल लागत का आगणन 6.875 प्रतिशत, जैसा कि राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) द्वारा सूचित किया गया था, के बजाय 12.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज को मान कर तैयार किया गया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी की सूडा इकाई–I, मेरठ ने कार्यों पर किये गये व्यय पर 6.875 प्रतिशत के बजाय 11.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का लेखांकन किया था। इसके परिणामस्वरूप, 2008–09 से 2014–15 की अवधि में ₹ 17.44 करोड़ की अननुमन्य सेन्टेज आय की धनराशि का लेखांकन हो गया जिसपर कम्पनी ने 30.9 प्रतिशत (3 प्रतिशत सेस सहित) की दर से आगणित ₹ 5.39 करोड़ के आयकर का भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक से सम्बन्धित अधिक प्रभारित सेन्टेज आय को 2012–13 के लेखे में रिवर्स कर दिया गया था एवं 2012–13 से 2015–16 के लेखाओं में 6.875 प्रतिशत की दर से सही सेन्टेज प्रभारित किया गया। अग्रेतर, 2011–12 एवं 2012–13 के आयकर निर्धारण के लिये विवरणी दाखिल की गयी थी और आयकर विभाग द्वारा निर्धारण के अन्तिमीकरण के बाद अधिक जमा आयकर को वापस/समायोजित किया जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लिये प्रोद्भूत सेन्टेज आय पर पहले ही आयकर का भुगतान कर दिया था और अधिक भुगतान किये गये आयकर की वापसी/समायोजन के लिये पुनरीक्षित आयकर विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर या निर्धारण के पूर्ण होने से पहले, जो पहले हो, तक ही दाखिल की जा सकती थी जो कम्पनी द्वारा अभी तक (अक्टूबर 2016) नहीं किया गया था। अतः, आयकर विभाग से कोई वापसी प्राप्त होने की सम्भावना नहीं थी। अग्रेतर, सेन्टेज आय का रिवर्सल केवल कम्पनी के लेखों का सुधार है जिससे आयकर के भुगतान की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तथापि, वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिये कम्पनी के निर्धारण आदेश को आयकर विभाग द्वारा क्रमशः 23 फरवरी 2015 एवं 30 जनवरी 2015 को अन्तिमीकृत कर दिया गया था।

प्रकरण जून 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.8 गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों पर आमान्य व्यय के कारण हानि

कम्पनी ने डीपीआर में प्रावधान न होने पर भी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों पर व्यय करके ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन किया

कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों को निक्षेप आधार अर्थात वास्तविक लागत एवं सेन्टेज पर क्रियान्वित करती है। कार्यों की लागत पर उपलब्ध 12.5 प्रतिशत की दर पर सेन्टेज में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों पर किया गया व्यय शामिल नहीं है। अतः, तृतीय पक्ष द्वारा किये गये गुणवत्ता परीक्षणों पर किया जाने वाले व्यय को सम्बन्धित कार्य के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में शामिल किया जाना चाहिए था ताकि गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की लागत ग्राहक से वसूला जा सके।

कम्पनी की आगरा और मेरठ की सूडा इकाइयों को दो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं[20] के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय भवनों के निर्माण का निक्षेप कार्य राज्य शहरी विकास अधिकरण (सूडा) द्वारा आवंटित किया गया था। इन इकाइयों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र

[19] बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पूअर (बीएसयूपी) स्कीम एवं इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी)।

[20] बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पूअर (बीएसयूपी) स्कीम एवं इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी)।

के लिये डीपीआर तैयार किया गया (फरवरी 2009) जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्यों पर किये जाने वाले प्रयोगशाला एवं परीक्षण व्यय को शामिल नहीं किया गया था। डीपीआर को सूडा द्वारा अनुमोदित किया गया और कार्य फरवरी 2009 से प्रारम्भ किये गये।

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने भी दोहराया (जनवरी 2011) कि कम्पनी द्वारा किये गये कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक स्थल पर अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) या देश की ख्यातिलब्ध फर्मों से तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करवाना अनिवार्य था।

उक्त दोनो इकाइयों के परियोजना प्रबन्धकों ने गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के लिये विभिन्न प्राइवेट एवं गैर सरकारी अधिकरणों को लगाया और 2009–10 से 2014–15 के दौरान प्रयोगशाला एवं परीक्षण मद पर ₹ 1.37 करोड़[21] व्यय किया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अक्टूबर 2015) कि सूडा ने प्रयोगशाला एवं परीक्षण व्यय के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया (मार्च 2015) कि प्रयोगशाला और परीक्षण मद पर व्यय किये जाने का प्रावधान डीपीआर में नहीं था। इस प्रकार, डीपीआर में प्रावधान न होने के कारण, कम्पनी प्रयोगशाला एवं परीक्षण मद पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं पा सकी और इसलिए ₹ 1.37 करोड़ की हानि वहन की।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2016) कि डीपीआर में तृतीय पक्ष से गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण तंत्र से सम्बन्धित प्रावधान बनाया गया था। अतः, तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण पर किये गये व्यय के भुगतान के लिये अगस्त 2016 में सूडा को पत्र भेजा गया था। उत्तर तथ्यों के आधार पर गलत था जैसाकि सूडा ने तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण व्ययों को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि डीपीआर मे ऐसा प्रावधान शामिल नहीं था।

प्रकरण जून 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.9 नियामक अधिभार के अधिरोपण न करने से हानि

एलएमवी–8 उपभोक्ताओं पर नियामक अधिभार के गैर–अधिरोपण/अल्प–अधिरोपण के कारण कम्पनी ने ₹ 52.53 लाख के राजस्व की हानि वहन की

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं से नियामक अधिभार और अतिरिक्त नियामक अधिभार की वसूली हेतु अधिसूचना निर्गत किया। अधिसूचनाओं (जून 2013 एवं जून 2014) के अनुसार, 10 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तथा 6 जून 2014 एवं आगे की अवधि के लिये नियामक अधिभार क्रमशः प्रभार की दर के 3.71 प्रतिशत एवं 2.84 प्रतिशत की दर से भारित किया जाना था। 12 अक्टूबर 2014 से 2.38 प्रतिशत की दर से अधिरोपित अतिरिक्त नियामक अधिभार को अधिसूचित किया गया (अक्टूबर 2014) जिसे 28 जून 2015 से 4.28 प्रतिशत की दर से पुनरीक्षित किया गया (जून 2015)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (सितम्बर 2015) कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी)–I, ईडीडी–II और ईडीडी–III; अलीगढ़ ने चार राज्य नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी–8) पर ₹ 52.53 लाख के नियामक अधिभार/अतिरिक्त नियामक अधिभार का गैर–अधिरोपण/अल्प–अधिरोपण किया जिसका विवरण तालिका 3.1 में दिया है।

---

[21] यूपीआरएनएन सूडा इकाई, आगराः ₹ 37.87 लाख तथा यूपीआरएनएन सूडा इकाई, मेरठः ₹ 98.91 लाख।

तालिका 3.1

नियामक अधिभार के अधिरोपण/अल्प अधिरोपण का विवरण

(₹ लाख में)

खण्ड	उपभोक्ता (श्रेणी)	अवधि	देय नियामक अधिभार	भारित नियामक अधिभार	अल्प अधिरोपण
ईडीडी–I अलीगढ़	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–I, अलीगढ़	जुलाई 2013 से मार्च 2015	28.37	–	28.37
ईडीडी–II अलीगढ़	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–II, अलीगढ़	नवम्बर 2014 से मार्च 2015	20.05	10.91	9.14
ईडीडी–III अलीगढ़	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–I एवं II, अलीगढ़	अगस्त 2013 से मार्च 2015	21.05	6.03	15.02
योग			**69.47**	**16.94**	**52.53**

स्रोतः खण्डों द्वारा दी गयी सूचना

इस प्रकार, यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल के आदेश के बावजूद, ईडीडी–I, अलीगढ़ ने जुलाई 2013 से मार्च 2015 की अवधि में ₹ 28.37 लाख का नियामक अधिभार उपभोक्ताओं पर भारित नहीं किया और ईडीडी–II एवं ईडीडी–III, अलीगढ़ ने अगस्त 2013 से मार्च 2015 की अवधि में ₹ 24.16 लाख का नियामक अधिभार उपभोक्ताओं पर बिना कोई कारण अभिलिखित किये अल्पभारित किया। इसके बाद, ईडीडी द्वारा यूपीपीसीएल द्वारा अधिसूचित नियामक अधिभार के बीजक निर्गत किये।

परिणामस्वरूप, कम्पनी ने जुलाई 2013 से मार्च 2015 के दौरान उपभोक्ताओं के बिलों पर नियामक अधिभार के गैर–अधिरोपण/अल्प–अधिरोपण के कारण ₹ 52.53 लाख के राजस्व की हानि वहन किया।

प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2016) कि बीजक निर्गत किये गये परन्तु उपभोक्ता से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण मई 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

3.10 निष्फल व्यय

निगम द्वारा प्रतिबन्धित स्मारक क्षेत्र से सटे क्षेत्र में गैर कानूनी निर्माण कार्य पर ₹ 66.90 लाख व्यय किया गया जिसे बाद में परित्याग करना पड़ा

निगम के निर्माण खण्ड, केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति तंत्र के निर्माण में संलग्न है।

निगम के निर्माण खण्ड, श्रावस्ती (खण्ड) की लेखापरीक्षा (जून 2015) के दौरान पाया गया कि ग्रामीणों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया एक नलकूप और ओवरहेड टैंक तन्डवा, महन्त ग्राम में परित्यक्त पड़ा था जिस पर ₹ 66.90 लाख[22] व्यय किया गया था। मामले की अग्रेतर जाँच करने पर पाया गया कि खण्ड के प्रबन्धन के स्तर पर दो स्तरीय त्रुटि थी जिसकी चर्चा नीचे की गयी हैः

- प्रचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19(1) के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार (जीओआई) के जुलाई 1992 के गजट अधिसूचना के अनुसार किसी स्मारक के 300 मीटर के अन्दर खुदाई एवं निर्माण कार्य केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की अनुमति पर ही किया जा सकता था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि निर्माण स्थल तन्डवा, महन्त ग्राम में स्थित एक स्मारक के 300 मीटर के अन्दर आता था परन्तु खण्ड ने एएसआई की अनुमति के लिये आवेदन नहीं किया और निर्माण कार्य प्रारम्भ किया (सितम्बर 2006)। अतः, एएसआई ने स्मारक क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिराने के लिये कारण बताओ नोटिस निर्गत किया (मार्च 2007)। खण्ड ने मार्च 2007 तक ₹ 22.34 लाख का व्यय किया था। कारण बताओं नोटिस के बाद खण्ड ने अनुमति के लिये आवेदन किया (जून/अगस्त 2007) परन्तु एएसआई ने स्मारक क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देना अस्वीकार कर दिया (जनवरी 2009)।

- एएसआई द्वारा नोटिस निर्गत होने एवं अनुमति न मिलने के बावजूद, खण्ड ने निर्माण कार्य जारी रखा और दिसम्बर 2011 तक ₹ 66.90 लाख का कुल व्यय किया जो कार्य की लागत का 86 प्रतिशत था। इसके बाद, निर्माण को छोड़ दिया गया और अभी तक (अक्टूबर 2016) उसी तरह पड़ा रहा। स्मारक का फोटोग्राफ और परित्यक्त नलकूप का फोटोग्राफ नीचे दिया गया हैः

ग्राम तन्डवा महन्त में स्थित स्मारक

तन्डवा महन्त में छोड़ा गया नलकूप

इस प्रकार, एएसआई से बिना अनुमति प्राप्त किये स्मारक के पास प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने एवं एएसआई द्वारा नोटिस निर्गत करने तथा अनुमति न देने के बावजूद खण्ड द्वारा निर्माण कार्य चालू रखने से उस पर ₹ 66.90 लाख का किया गया व्यय निष्फल साबित हुआ। अग्रेतर, तन्डवा महन्त के ग्रामीणों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का अभीष्ठ उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि वर्तमान में, एएसआई से अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रयास किया जा रहा है एवं अनुमति के पश्चात् कार्य पर किया गया व्यय निष्फल नहीं होगा। यद्यपि, आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाने सम्बन्धी उत्तर के समर्थन में प्रबन्धन द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। तथ्य यथावत था कि एएसआई द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने से मना करने

[22] अधिष्ठान और विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों पर व्यय ₹ 15.99 लाख सहित।

(जनवरी 2009) के बाद भी खण्ड द्वारा दिसम्बर 2011 तक कार्य पर व्यय किया जाता रहा जो ₹ 66.90 लाख का व्यय निष्फल रहने में परिणत हुआ।

प्रकरण मई 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.11 अतिरिक्त मिट्टी के निस्तारण पर परिहार्य व्यय

निगम स्थल पर मिट्टी की बिक्री की व्यवस्था करने में असफल रहा एवं मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। इसने मिट्टी की बिक्री से ₹ 75.23 लाख की सीमा तक राजस्व प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया

उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) राज्य में सीवेज के निस्तारण के लिये योजनायें तैयार करता है। योजना के क्रियान्वयन यथा सीवेज/निकास तंत्र के विकास में, नाली बनाने के लिये मिट्टी खोदी जाती है। नाली के निर्माण और पुनर्भराव के पूर्ण होने के बाद, भारी मात्रा में मिट्टी निस्तारण हेतु अधिशेष रहती है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार, साधारण मिट्टी (भराव या समतलीकरण उद्देश्य हेतु प्रयुक्त) एक लघु खनिज है। इस प्रकार पुनर्भराव के बाद अवशेष मिट्टी एक लघु खनिज है और देय रायल्टी जमा करने के बाद स्थल पर बेची जा सकती है। स्थल पर मिट्टी की बिक्री दो स्तरीय उद्देश्य पूर्ण करती है क्योंकि यह निस्तारण लागत की आवश्यकता समाप्त करती है और राजस्व भी अर्जित कर सकती है। यदि देय रायल्टी को जमा करके मुफ्त में भी दे दी जाय तो यह कुल कार्य के प्राक्कलन से निस्तारण की लागत को समाप्त कर देगी।

निगम को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत भारत सरकार (जीओआई) द्वारा सीवेज तंत्र के निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। निगम ने मथुरा कस्बे हेतु चक्रवाती पानी के निकास की परियोजना के अन्तर्गत, नयी/रिमॉडेल्ड नालों का निर्माण (भाग–I), मौजूदा नालों की मरम्मत (भाग–II), राइजिंग मेन का बिछौनी (भाग–III) एवं पम्पिंग स्टेशनों के सिविल और विद्युत एवं यांत्रिक निर्माण कार्य (भाग–IV) के लिये ₹ 93.87 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार से एक अनुबन्ध निष्पादित किया।

अनुबन्ध के सामान्य विशिष्टि में प्रावधान था कि ठेकेदार अतिरिक्त/अधिशेष मिट्टी का अभियन्ता द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर निस्तारण करेगा। ठेकेदार द्वारा कन्टूर प्लान तैयार करके या यांत्रिक रीति से निस्तारित मिट्टी के आयतन के आधार पर मापन करके अभिलिखित किया जायेगा।

अनुबन्ध के सभी भागों (खुदाई से सम्बन्धित न होने से भाग–IV को छोड़कर) के अन्तर्गत खुदाई और अधिशेष मिट्टी/सिल्ट/बालू आदि के निस्तारण के लिये आकलित कार्य एवं वास्तविक कार्य का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2

खुदाई और अधिशेष मिट्टी/सिल्ट/बालू के निस्तारण के लिये आकलित कार्य एवं वास्तविक कार्य का विवरण

(मात्रा घ0मी0 में)

विवरण	भाग–I खुदाई और अधिशेष मिट्टी का निस्तारण	भाग–II नालियों की सिल्ट हटाना और सिल्ट का निस्तारण	भाग–III खुदाई और दोमट, मिट्टी एवं बालू का निस्तारण	कुल मात्रा
खोदी गयी मिट्टी/सिल्ट	202056	17314	2384	221754

विवरण	भाग–I खुदाई और अधिशेष मिट्टी का निस्तारण	भाग–II नालियों की सिल्ट हटाना और सिल्ट का निस्तारण	भाग–III खुदाई और दोमट, मिट्टी एवं बालू का निस्तारण	कुल मात्रा
की आकलित मात्रा				
खोदी गयी मिट्टी/सिल्ट की वास्तविक मात्रा	205867	17314	2384	225565
अधिशेष मिट्टी/सिल्ट के निस्तारण की आकलित मात्रा	103048	10424	2384	115856
निस्तारित मिट्टी/सिल्ट की वास्तविक मात्रा	183491	10424	2384	196299

स्रोत : अनुबन्ध की बिल आफ क्वान्टिटी और अन्तिम भुगतान का बीजक

चूँकि अनुबन्ध के भाग–II एवं भाग–III में सिल्ट, दुमट्टी, मिट्टी और बालू का निस्तारण शामिल था अतः ये बिक्रीयोग्य नहीं थे। अनुबन्ध के भाग–I में अधिशेष मिट्टी का निस्तारण शामिल था। अधिशेष मिट्टी बिक्रीयोग्य मद था और अतएव इसे बेचा जा सकता था।

निगम की ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, मथुरा (खण्ड) कार्य के लिये कार्यदायी एजेंसी थी। ठेकेदार द्वारा खण्ड को प्रस्तुत अन्तिम बीजक के अनुसार, सितम्बर 2009 से मार्च 2014 के दौरान अनुबन्ध के भाग–I के कार्य में 2,05,867 घ0मी0 मिट्टी खोदी गयी और 1,83,491 घ0मी0 मिट्टी का निस्तारण हुआ और मिट्टी के निस्तारण के लिये ₹ 159.48 प्रति घ0मी0 की दर से ₹ 2.93 करोड़ की धनराशि का निस्तारण व्यय के रूप में भुगतान किया गया (जून 2014 तक)। 22,376 घ0मी0[23] अधिशेष मिट्टी के अन्तर की मात्रा का विवरण अभिलेखों पर नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (दिसम्बर 2015) कि यद्यपि खण्ड प्रारम्भ से ही इस तथ्य से अवगत था कि कार्य के क्रियान्वयन के दौरान अधिशेष मिट्टी के निस्तारण की आवश्यकता होगी और जिलाधिकारी की सर्किल दर उस दर को तय करती है जिस पर मिट्टी को एक बिक्रीयोग्य वस्तु के रूप में खरीदा और बेचा जायेगा; यह तदनुसार अधिशेष मिट्टी के बिक्री की व्यवस्था करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि खण्ड ने अभियंता द्वारा ठेकेदार को निर्गत निर्देशों, यदि कोई हो, के अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया। प्रभारी अभियन्ता ने निस्तारण की रीति, दूरी और उस स्थान को, माप पुस्तिका (एमबी) में अभिलिखित नहीं किया जहाँ मिट्टी को ठेकेदार द्वारा वास्तव में निस्तारित किया गया या फेंका गया। अतः, खण्ड निस्तारण की रीति और निस्तारित मिट्टी की स्थलवार मात्रा से अनभिज्ञ था।

इस प्रकार, खण्ड, स्थल पर मिट्टी की बिक्री की व्यवस्था करने में विफल रहा और मिट्टी को मुफ्त में निस्तारित करने का भी प्रयास नहीं किया जो निस्तारण लागत की आवश्यकता को समाप्त कर देता। प्रबन्धन ने मिट्टी के निस्तारण पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया और इसने अधिशेष मिट्टी की बिक्री से ₹ 75.23 लाख (मथुरा

[23] 2,05,867 घ0मी0 खोदी गयी मिट्टी घटाव 1,83,491 घ0मी0 निस्तारित मिट्टी।

के जिलाधिकारी के सर्किल दर में प्रावधान किये गये ₹ 41 प्रति घ0मी0 की दर से मिट्टी की बिक्री पर ₹ 9 प्रति घ0मी0 की दर से रायल्टी को घटाकर गणना की गयी) की सीमा तक राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि नालियों के निर्माण के दौरान खोदी गयी मिट्टी सिल्ट तथा कीचड़ में मिश्रित थी जिसमें मिट्टी की मात्रा बहुत कम थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल कार्य के भाग–I पर विचार किया जो खुदाई और उस अधिशेष मिट्टी के निस्तारण से सम्बन्धित था जो किसी सिल्ट और कीचड़ से सम्बन्धित नहीं थी।

प्रकरण जून 2016 में शासन के संज्ञान में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

लखनऊ
दिनांक 06 फरवरी FEB 2017

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 18 फरवरी 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक